न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

रिवोकेशन वाद सं0–01/2007

आदेश

28.04.2025 प्रस्तुत वाद जो कि दिनांक 11.01.2019 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध विविध वाद संख्या 102/2019 संस्थित किया गया, जिसे दिनांक 05.08.2024 को न्यायालय के द्वारा स्वीकृत करते हुए रिवोकेशन वाद संख्या 01/2007 को पुनर्जीवित किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 04.04.2025 को प्रस्तुत वाद में 1.रिता सिंह, 2.प्राचि सिंह, 3. आयुष सिंह की ओर से शक्तिपत्र एवं दस्तावेज की सूची (सत्येन्द्र कुमार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति) के साथ आवेदन दाखिल कर यह निवेदन किया गया है कि आवेदक सत्येन्द्र कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 03.01.2025 को हो गई है तथा आवेदकगण मृतक के विधिक उत्तराधिकारी है और यह निवेदन किया गया कि उन्हें यदि इस आवेदन के दाखिल करने में विलम्ब के कारण प्रस्तुत रिवोकेशन वाद संख्या 01/2007 उपशमित हो गया हो तो उन्हें उपशमन को निरस्त किए जाने हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए एक समय प्रदान किया जाए। न्यायालय के द्वारा इस वाद में अगली तिथि 28.04.2025 नियत की गई।

आवेदक सत्येन्द्र कुमार सिंह (मृत) के विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा दिनांक 04.04.2025 को दिए गए आवेदन में होने वाले विलम्ब के कारण उपशमन को निरस्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया और प्रार्थना की गई कि उपशमन को निरस्त करते हुए इस आवेदन को अनुमति प्रदान करें और मृतक वादी सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर उनके तीनों विधिक उत्तराधिकारियों को इस वाद में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

रिवोकेशन वाद सं0–01/2007

लगातार

28.04.2025

दाखिल उपरोक्त आवेदन पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी सत्येन्द्र कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 03.01.2025 को हो गई है तथा उनके विधिक प्रतिनिधियों की ओर से उनके स्थान पर अपने को प्रतिस्थापित करने हेतु जो आवेदन दिनांक 04.04.2025 को दाखिल किया गया था, वह विधि द्वारा नियत 90 दिनों के पश्चात दाखिल करने से यह वाद उपशमित हो गया तथा एक आवेदन इस उपशमन के निरस्तीकरण हेतु भी दाखिल किया गया है जो कि उपशमन की तरीख से विधि द्वारा नियत 60 दिन के अंदर दाखिल किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में उक्त प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि मृतक वादी सत्येन्द्र कुमार सिंह के तीनों विधिक उत्तराधिकारीगण 1.रिता सिंह, 2.प्राचि सिंह, 3. आयुष सिंह को उसके स्थान पर इस वाद में प्रतिस्थापित किया जाए और विपक्षी की उपस्थिति हेतु नोटिस की अपेक्षिका दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक अपेक्षिका प्राप्त होने के उपरांत विपक्षी को नोटिस जारी करना सुनिशिचत करें। वाद दिनांक 15.05.2025 को विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु।

लेखापित

(संगम सिंह)
अपर जिला न्या0–प्रथम
पटना।